

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं०- 5226-औस/08-11(16)एस/05

दिनांक 06 नवम्बर, 08

कार्यालय ज्ञाप

पारिवारिक पेशनरो के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पारिवारिक पेशनरो को पूर्ववर्ती परिषदाज्ञा सं० 2088-एनजी-11/एसईबी (IV)-29 एनजी-11/78 दिनांक 24.05.78 एवं सं० 2161-जी/राविप-1-103 ए/78 दिनांक 16.05.08 के अनुक्रम में सेवानिवृत्त पेशनरो की भौति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष

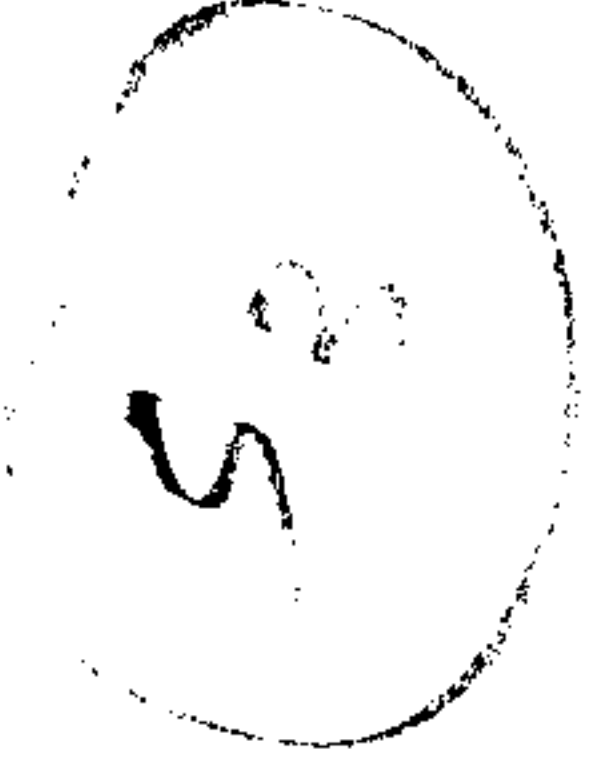
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पृ० सं०- 5226-औस/08-11(16)एस/05 तददिनांक।

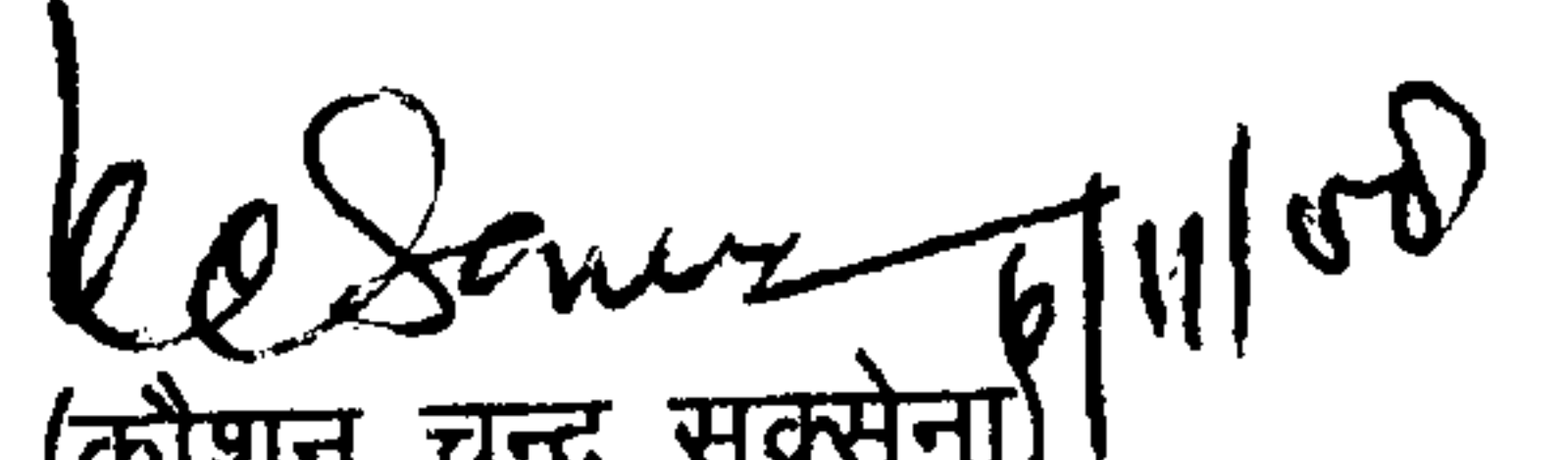
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, केस्को-कानपुर।
6. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/अरा०/काविनी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करे।

vinium



10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करे।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र० राज्य उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. सचिव, विद्युत कर्मचारी पेशनर्स परिषद, 103, कीर्ति अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 17.10.08 को हुई बैठक के मद सं० पिचहत्तर (60)/08 के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी सं० 724/पाकालि /बैठक (75)/2008 दिनांक 03.11.08 के सन्दर्भ में प्रेषित।


(कौशन चन्द सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी